BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शानू पुत्र इकलाख निवासी मौ0 तीरानान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर व मनोज पुत्र गया प्रसाद निवासी 8ए ब्लॉक कालिंदी कुंज थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता में हिंसा व भय व्याप्त करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30-11-2021 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 1295/21 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.05.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.02.2024 को मा0 न्यायाल एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शानू व मनोज को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर